



F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारतहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु
MARATHAHALLI COLONY P.O.,
BENGALURU - 560 037.

वर्ग अनुमोदन सं. 813 का नवीकरण/Renewal of Type Approval No. 813

विषय/Sub: "कार्ट्रिज सीट इजेक्शन टाइप पीके-16" / Cartridge Seat Ejection Type PK-16

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स आर्ममेंट रिसर्च एंड डेवलेपमेंट एस्टाब्लिशमेंट (ए.आर.डी.ई), डी आर डी ओ, आर्ममेंट पी.ओ, पाषाण, पुणे-411 021 द्वारा अभिकल्पित, विकसित एवं प्रारंभ में उत्पादित तथा वर्तमान में एम्पूनिशन फैक्टरी, किर्की, पुणे-411 001, द्वारा उत्पादित " कार्ट्रिज सीट इजेक्शन टाइप पीके-16 (सेक्शन संदर्भ सं. 312के/71)" को पत्र सं. सेमिलेक/5070/टीए-813, दिनांक 02 दिसंबर 1997, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 813 जारी किया था तदुपरांत संदर्भ सं. सेमिलेक/5070/टीए-813/2आर द्वारा दिनांक 16 मई 2006 को नवीकरण किया था जो कि 31 दिसंबर 2008 तक वैध था।

This is to state that the Cartridge Seat Ejection Type PK-16, (Sec. Ref. No.312K/71), designed, developed & initially manufactured by Armament Research & Development Establishment (A.R.D.E), DRDO, Armament P.O, Pashan, Pune—411 021 and presently being manufactured by M/s. Ammunition Factory, Kirkee, Pune—411 003, has been issued with Type Approval No. 813 vide ref. No. CEMILAC/5070/TA-813, dated: 02nd Dec 1997 and subsequently renewed on 16th May 2006 Vide Ref. No. CEMILAC/5070/TA-813/2R, and was valid up to 31st Dec 2008.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अक्तूबर 2013 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2018 तक वैध है बशर्ते कि इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए(एए), डी आर डी ओ, पाषाण, पुणे-411 021, से अनुरोध करना होगा। वर्ग अनुमोदन पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f 1st Oct 2013 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st Dec 2018 unless otherwise, suspended or cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (AA), DRDO, Pashan, Pune- 411 021, three months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause. All other terms & conditions stipulated in the Type Approval letter remain unaltered.

सं./No. : सेमिलेक/CEMILAC/5070/टी.ए/TA- 813-3R

दिनांक/Date : 25 Oct 2013

फैक्स सं./Fax No: 080-25230856


(डॉ. के.तमिलमणि/ Dr. K.TAMILMANI)
महा निदेशक (एरो) Director General (Aero)
मुख्य कार्यपालक (उड़नयोग्यता)
Chief Executive (Airworthiness)